

पत्र संख्या-आई0टी0-जनहित गारण्टी अधिनियम-(2018-19)/ 810 / वाणिज्य कर प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

दिनांक :: लखनऊ :: सितम्बर, 14, 2018

विषय :- जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित सेवाओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित सेवाओं से सम्बन्धित विभागीय डैशबोर्ड मा0 मुख्यमंत्री जी के डैशबोर्ड से इन्टीग्रेट किये जाने के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर निर्धारित समयावधि की सूचनायें उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है:-

क्रम संख्या	बिन्दु	समयावधि	टिप्पणी
1	Decision on Issuance of No dues Certificates	01-04-2017 से 31-12-2017 तथा 01-01-2018 से अब तक	प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं अवशेष के निर्धारित समयावधि की अद्यावधिक स्थिति का विवरण संलग्न प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना है।
2	Decision on the application of provisional Refund of Exporters	01-04-2017 से 31-12-2017 तक	प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं अवशेष के निर्धारित समयावधि की अद्यावधिक स्थिति का विवरण संलग्न प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ खण्डाधिकारियों से उपरोक्त वांछित सूचनायें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर जोनवार संकलित करते हुये संलग्न प्रारूप में समयावधि-वार भरकर ई-मेल (ctithqlu-up@nic.in) अथवा whatsapp No. 9452030088 पर प्रेषित/उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यालय को वांछित सूचनायें ससमय उपलब्ध करायी जा सकें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(ए0क0 शुक्ला)

एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर
मुख्यालय लखनऊ।

